झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–05 वर्ष 2019

मो0 अब्दुल्ला उर्फ मो0 इरफान आलम, उम्र–28 वर्ष, पुत्र–कुदूस आलम, निवासी–बाभान्डी, डाकघर एवं थाना–हैदरनगर, जिला–पलामू, झारखण्ड

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्रीमती लिली सहाय, अपर लोक अभियोजक।

02 / 28.01.2019 याचिकाकर्त्ता दिनांक 28.11.2018 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन प्रक्रिया इनके विरूद्ध जारी किया गया।

2. श्रीमती लिली सहाय, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है एवं याचिकाकर्त्ता के घर के दरवाजा पर इश्तेहार चिपका दी गई है।

3. याचिकाकर्त्ता को हैदरनगर थाना काण्ड सं0–85 वर्ष 2017, जी0आर0 वाद सं0–2197 वर्ष 2017 के अनुरूप, में आरोपी बनाया गया है जो भा0दं0सं0 की धाराएँ 147 / 148 / 149 / 353 / 188 / 153 (ए) / 295 (ए) एवं 504 के अधीन अपराधों के लिए

दर्ज किया गया है। दिनांक 17.01.2018 के एक आदेश द्वारा आरोपी–याचिकाकर्त्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी किया था। केवल यह अभिलिखित करते हुए कि अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी किया गया था, दिनांक 28.11.2018 का आदेश, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन जारी की गई है, मजिस्ट्रेट की संतुष्टि को प्रतिबिंबित नहीं करता है कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बच रहा है। यह कहा गया है कि तीन आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया है।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्त्ता के घर के दरवाजे पर इश्तेहार चिपकाने के बाद ही उसको मालूम हुआ कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी किया गया है और अन्यथा कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्त्ता अग्रिम जमानत/जमानत का आवेदन नहीं बढ़ाएगा इस तथ्य को देखते हुए कि अन्य अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है।

5. दिनांक 28.11.2018 का आक्षेपित आदेश विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा एक यांत्रिक इस्तेमाल की हुई शक्ति को दर्शाता है। दिनांक 28.11.2018 के आक्षेपित आदेश में दण्डाधिकारी की आवश्यक संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है। तद्नुसार, दिनांक 28.11.2018 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

6. परिणाम में, क्रिमिनल एम0पी0 सं0–05 वर्ष 2019 को अनुज्ञात किया जाता है।

7. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता आदेश की एक प्रति याचिकाकर्त्ता द्वारा सामान्य शुल्क के भुगतान पर 'फैक्स' के माध्यम से संबंधित अदालत को सूचित करने का प्रार्थना करते हैं।

8. प्रार्थना की अनुमति है।

ह0

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)